"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मोहन कंवर पत्नी दौलतसिंह राजपूत, हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह राजपूत, मूलसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत, मूलसिंह पुत्र विजेसिंह राजपूत सिडियास वगैरह		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

प्रार्थना–पत्र नम्बर 876 /2021 GCMS No. 2021/ 1184

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28/12/2021	प्रार्थीया मोहन कवंर पत्नी दौलतसिंह वगैरह सा. सिडियास द्वारा दिनॉक 23.11.2021 को "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पलाड़ा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम सिडियास पटवार मण्डल पलाड़ा के खाता नम्बर 93 खसरा नम्बर 58, 61, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 88, 89 का प्रस्तुत कर कथन किया है प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **मोहन कंवर पत्नी दौलतसिंह गुर्जर, हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह मेघवाल, मूलसिंह पुत्र रेवतसिंह मेघवाल, मूलसिंह पुत्र विजेसिंह मेघवाल सिडियास** दर्ज है, जो अशुद्व है। प्रार्थी का शुद्व नाम **मोहन कंवर पत्नी दौलतसिंह राजपूत, हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह राजपूत, मूलसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत, मूलसिंह पुत्र विजेसिंह राजपूत सिडियास** तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. .... आधारनम्बर .... मतदाता पहचान पत्र ------------------- अन्य दस्तावेज **जमाबंदी नकल सम्वत 2071–74** की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **पलाड़ा** भू.अ.नि **मण्डावरा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका नाम ... किया जा सके तथा उक्त अशुद्धि कब हुई उस ... राजस्व रेकार्ड ... इत्यादि भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है ... **R.L.Act1956** की श्रेणी में नही आता है, प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:53:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)